

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./19/2023

1. नन्दा पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. परमेश्वर पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. पुसालाल पुत्र उगमा जाति बैरवा निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. धीरा पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-12.07.2024

- उपस्थित :-
1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
  2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सिंगावल पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 में दर्ज खसरा नं. 3477/3800 रकबा 0.20, खसरा नं. 3478/3801 रकबा 0.12, खसरा नं. 3540 रकबा 0.34 और खसरा नं. 3543 रकबा 0.15 कुल किता 04 कुल रकबा 0.81 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 04 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सिंगावल के खाता संख्या 231 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

५  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा पड़ांग पटवार क्षेत्र पड़ांग भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 23 में दर्ज खसरा नं. 2094 रकबा 1.62 और खसरा नं. 2097/2281 रकबा 0.94 कुल किता 02 कुल रकबा 2.56 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय, केकड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय (केकड़ी)